रजिस्ट्री सं. डी. एल. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 1987/आश्विन, 7 1909
No. 490] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 1987/ASVINA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कलकत्ता, 29 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 870(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं वी.आर. बाबु, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा बी. ट्वीलस (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सें. मीटर × 67.5 सेंटी मीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सेंटी मीटर × 67.5 सेंटी मीटर सिला,

1020 ग्राम प्रति बोरा 6" × 8, 3—नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा.मा (2566—1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 709.90 रुपए एक सौ बोरे नियत करते है। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय सितम्बर, 1987 महीने के दौरान किया जायेगा।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा।

[फाइल स. 8/1/87—जूट]

बी आर बासु, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 29th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 870(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, B. R. Basu, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 709.90 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which I. Twills (a variety of jute textiles) of the size 112.4 Cms. × 67.5 Cms. Hd. W. I. 112.0 Cms. Hd. 1020 Gms. per bag, 6" × 8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of September 1987.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8(1)87-Jute]

B. R. BASU, Jute Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987